

reported that the total number of MIG flats built by it during the 10 years from 1972-73 to 1981-82 is 18,100. It has further reported that during the 10 years ending 1981-82, 386 flats under the General Registration Schemes upto 1976 and 346 flats under the New Pattern Scheme; 1979 (HUDCO) were allotted to SCs/STs under MIG category.

(b) The DDA has reported that the SC/ST registrants who applied for allotment of flats against the releases made from time to time under the General Registration Schemes upto 1976 were given adequate representation against the quota reserved for them. In case SC/ST registrants were not available, the flats were allotted to the registrants under the general category. The DDA has further reported that, under the New Pattern Scheme, 1979 (HUDCO), the quota reserved for SC/ST has been utilised by them in full so far.

(c) There is 25% reservation for SC/ST in the allotment of DDA flats.

Deputationists Working in F.C.I.

5510. SHRI BHEEKHABHAI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Food Corporation of India is bringing officers and staff on deputation against the posts of Managers/Senior Regional Managers/Personal Assistants etc. causing wide resentment amongst the employees and FCI Employees Congress has represented against this policy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action being taken on the representation of the FCI Employees Congress in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b) Officers are

being brought against the posts of Managers/Senior Regional Managers etc. on deputation, as provided in the regulations, since the inception of the Corporation.

Recently two officials have also been brought on deputation in the office attached with the Chairman, Food Corporation of India.

It is not correct to say that deputation of officers has caused widespread resentment among the staff. Only one section of the employees through one of the unions has resented against this.

(c) No action is considered necessary in this regard.

श्रेणी 'क' और 'ख' के राज्यों को हिन्दी में पत्र

5511. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके अधीन मन्त्रालय/विभाग में 'क' और 'ख' श्रेणी के राज्यों को 1982 के उत्तरार्द्ध में कितने मूल पत्र भेजे हैं और इन मूल पत्रों में से कितने अंग्रेजी में और कितने हिन्दी में भेजे हैं;

(ख) इन राज्यों को नियमानुसार सभी मूल पत्र हिन्दी में न भेजने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इन राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजे जायेंगे; और

(घ) क्या हिन्दी का कार्य करने के लिए मन्त्रालय/विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखे गए हैं जैसा कि नियमों में व्यवस्था है, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजभाषा नियम, 1976 के अन्तर्गत मन्त्रालय/विभागों की अधिसूचना

5512. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके अधीन मन्त्रालय/विभाग राजभाषा नियम, 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है;

(ख) उक्त धारा के अधीन अधिसूचित मन्त्रालय/विभागों के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में अधिसूचना की तारीख क्या है;

(ग) उक्त कितने कार्यालयों को उक्त

नियमों की धारा 8(4) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है; और

(घ) यदि इन कार्यालयों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक निर्दिष्ट कर दिया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ग) और (घ) नियम 8(4) के तहत अभी तक आदेश जारी नहीं किए जा सके, क्योंकि अधिसूचित कार्यालयों में कर्मचारियों की दिन-प्रति-दिन के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग करने की प्रवीणता का मूल्यांकन पूरा नहीं किया गया है। अभी कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है।

विवरण

राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के तहत अधिसूचित कृषि मन्त्रालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	अधिसूचना की तारीख
1.	ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र, हिसार	17.2.1979
2.	वन संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण देहरादून (मुख्यालय)*	
3.	वन संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण (उत्तरी क्षेत्र) शिमला*	
4.	दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली	29.8.1979
5.	पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, गुड़गांव रोड कापसहेड़ा, नई दिल्ली	20.6.1981
6.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़	
7.	लाख विकास निदेशालय, रांची	

*अब इसका नाम भारतीय वन सर्वेक्षण रखा गया है।